हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

बैठक संख्या -३१

दिनांकः ३१-०३-२०००

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

हरिद्वार

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ३१ वीं बोर्ड बैठक
दिनांक ३१-३-२००० की उपस्थिति

क्र. सं०	नाम व पद नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
१.	श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष	ह०वि० प्रा०	[signature]
२.	श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष	ह०वि० प्रा०	
३.	श्रीमती आराधना शुक्ला, जिलाधिकारी	हरिद्वार	
३.	स्नेह लता शर्मा	अध्यक्ष नगर परिषद ऋषिकेश	[signature]
.४.	उषा भारद्वाज	सदस्या	भारद्वाज.
५.	विजय कुमार गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग रुड़की	[signature]
६.	बी० डी० गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मंडल, उ० प्र० जल निगम सहारनपुर	[signature]
७.	राजकुमार कैराका	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरिद्वार	[signature]
.८.	एस. जी. सिंह	नगर मजिस्ट्रेट	[signature]
.९.	आनंद द्विवेदी	अपर जिला मजिस्ट्रेट	
१०.	उत्तम सिंह राणा	अध्यक्ष न० पं० मुनि की रेती.	[signature] ३१/३/२०००
.११.			
१२.			

(86)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ३१वीं बोर्ड बैठक दिनांक ३१-०३-२००० का कार्यवृत्त

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वर्ष २०००-२००१ का आय-व्ययक पारित करने के मन्तव्य से एक विशेष बोर्ड बैठक दिनांक ३१.०३.२००० को अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः-

१- श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल	अध्यक्ष
२- श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
३- श्रीमती आराधना शुक्ला, जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
४- श्री विजय कुमार गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
५- श्रीमती उषा भारद्वाज	गैर सरकारी नामित सदस्य
६- श्री राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
७- श्रीमती स्नेह लता शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
८- श्री उत्तम सिंह राणा, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती	पदेन सदस्य
९- श्री बी०डी० गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, सहारनपुर	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के नामित सदस्य

बैठक की कार्यवाही

उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त महोदय एवं प्राधिकरण के सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तथा आय-व्ययक की संक्षिप्त रूपरेखा का उल्लेख किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष २०००-२० हेतु निम्नवत् आय-व्ययक पारित किया गयाः-

Secretary

03/4/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissio

Scanned by CamScanner

विषय सं0-1 :- प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर विचार ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित बजट विगत तीन वर्षो की प्राप्तीयाँ एवं भुगतानों के वास्तविकता को आधार मान कर एवं आगामी वर्ष की सम्भवानाओं व योजनाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रस्तावित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

आय :-

(1) राजस्व आय :- वित्तीय वर्ष 2000-2001 में राजस्व आय की मदों में रू0 362.00 लाख की आय प्रस्तावित की गई है। इसमें मुख्य स्रोत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी, विनियोगों से ब्याज, मानचित्र आवेदन शुल्क, शमन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, अम्बार शुल्क, फ्री-होल्ड शुल्क आदि है जिनका आकलन गत वित्तीय वर्षो में हुई आय के आधार पर किया गया है।

(2) पूंजीगत आय :- पूर्व विकसित व आवंटित योजनायें जैसे शिवलोक, ऋषिलोक, हरिलोक व श्यामलोक से कुल प्राप्ति रू0 160.00 लाख, हडको से ऋण(भूमि अध्याप्ति हेतु) रू0 200.00 लाख, आई0डी0एस0एम0टी0योजना में रू0 5.00 लाख, गायत्रीलोक योजना से रू0 75.00 लाख तथा नई विकसित की जाने वाली योजना हरिलोक भाग-2 एवं यातायात नगर में सम्पत्ति के पंजीकरण व आवंटन से रू0 95.00 लाख तथा प्राधिकरण कर्मियों को निर्गत ऋण की वसूली से रू0 3.00 लाख की आय प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 538.00 लाख की पूंजीगत आय प्रस्तावित है।

इस प्रकार आय की मदों में कुल प्राप्तियाँ रू0 900.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आय-व्ययक वर्ष 2000-2001

क्र.	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
(अ)	**राजस्व आय**	
1	स्टाम्प ड्यूटी	75.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	40.00
3	मानचित्र शुल्क	12.00
4	शमन शुल्क	60.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	15.00
6	अनुदान प्राप्ति	10.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	5.00
8	विकास शुल्क	100.00
9	अम्बार शुल्क	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	30.00
(अ)	**कुल राजस्व आय**	**362.00**
(ब)	**पूंजीगत आय**	
1	ऋषिलोक योजना	2.00
2	शिवलोक प्रथम	2.00
3	शिवलोक द्वितीय	6.00
4	शिवलोक तृतीय	5.00
5	हरिलोक	60.00
6	श्यामलोक	85.00
7	हुड़कों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	200.00
8	आई.डी.एस.एम.टी.	5.00
9	गायत्री लोक	75.00
10	अन्य नई योजना	95.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	3.00
(ब)	**पूंजीगत आय**	**538.00**
(स)	**कुल आय (अ+ब)**	**900.00**

SECRETARY

03/04/2000
VICE-CHAIRMAN

COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

व्यय :-

(1) राजस्व व्यय :- वर्ष 2000-2001 हेतु राजस्व व्यय मद में कुल रू0 136.90 लाख का व्यय प्रस्तावित है जिसमें वेतन भत्तों के भुगतान हेतु 50.69 लाख, कार्यालय विविध व्ययों हेतु 13.80 लाख, वाहन पैट्रोल/अनुरक्षण हेतु 6.00 लाख, कर्मचारियों को वाहन/भवन/भूखण्ड अग्रिम हेतु रू0 11.00 लाख एवं अन्य व्यय जैसे महायोजना के पुनरीक्षण हेतु बेस प्लान तैयार करने की दृष्टि से सर्वे, फुटकर विकास कार्य एवं अनुदान से विकास कार्यो हेतु रू0 28.50 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

(2) पूंजीगत व्यय :- प्रस्तावित आय-व्ययक में योजनाओं व अन्य पूंजीगत कार्यो में कुल रू0 742.50 लाख मात्र के व्यय प्रस्तावित किये गये है जिसके अन्तर्गत मुख्य व्ययों के विवरण निम्नानुसार है।

1. कार, भवन, फर्नीचर फिक्चर्स एवं स्टोर सामाग्री क्रय हेतु कुल रू0 47.00 लाख का व्यय अनुमानित है।
2. हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 एवं यातायात नगर की भूमि क्रय को ध्यान में रखकर भूमि क्रय मद में रू0 300.00 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
3. हरिलोक आवासीय योजना में निर्माणाधीन भवनों व विकास कार्यो के भुगतान हेतु रू0 50.00 लाख का व्यय अनुमानित है।
4. अवस्थापना विकास निधि में रू0 200.00 लाख के व्यय शहर के विकास, सौन्दर्यकरण एवं पूंजीगत कार्यो हेतु प्रस्तावित किये जा रहे है। प्रमुख कार्य योजनाओं में कनखल क्षेत्र की स्टार्म वाटर ड्रेनेज व्यवस्था, ज्वालापुर क्षेत्र में बी0एच0ई0एल क्षेत्र से आने वाले स्टार्म वाटर के उचित निस्तारण हेतु ड्रेन निर्माण, हर की पैडी क्षेत्र में रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट आदि कार्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में बरसाती नाला निर्माण, स्वर्गाश्रम में मुख्य मार्गो का सुदृढीकरण व मुनि की रेती क्षेत्र में पार्किंग क्षेत्र के विकास का प्राविधान है।
5. नई योजनाओं की भूमि क्रय के उपरान्त विकास कार्यो के प्रथम चरण में भूमि समतलीकरण, सीवर कार्य, जलापूर्ति कार्य हेतु कुल रू0 95.00 के व्यय का अनुमान है।

इस प्रकार आय-व्ययक के अवलोकन से विदित होता है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु कुल आय रू0 900.00 लाख प्रस्तावित की गई है, जिसके सापेक्ष कुल व्यय रू0 869.40 लाख के प्रस्तावित है। इसप्रकार कुल प्रस्तावित व्यय के उपरान्त रू0 20.60 लाख की बचत परिलक्षित होती है।

Scanned by CamScanner

क्र.	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
	राजस्व व्यय	
(अ)	**अधिष्ठान**	
1	अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते	65.00
2	यात्रा भत्ता	2.00
3	दैनिक वेतन	0.40
4	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	1.50
(अ)	कुल व्यय (अ)	**68.90**
(ब)	**कार्यालय विविध व्यय**	
1	डाक व्यय	0.30
2	स्टेशनरी	1.50
3	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.50
4	टेलीफोन	5.00
5	पुस्तकालय	0.25
6	कानूनी व्यय	1.00
7	अतिथि सत्कार	0.50
8	छपाई व्यय	1.50
9	विज्ञापन	3.00
10	सम्परीक्षा शुल्क	1.50
11	विविध	2.00
12	कर्मचारी कल्याण	0.25
13	मशीनरी अनुरक्षण	1.00
14	विद्युत अनुरक्षण	0.50
15	विवेकाधीन	0.20
16	अस्थाई अग्रिम	0.50
17	कम्प्यूटर अनुरक्षण	1.00
(ब)	कुल व्यय (ब)	**22.50**
(स)	**वाहन**	
(I)	अनुरक्षण	2.00
(II)	पैट्रोल/डीजल	4.00
(स)	कुल व्यय (स)	**6.00**
(द)	**कर्मचारी अग्रिम**	
(I)	वाहन	1.00
(II)	भवन/भूखण्ड	10.00
(द)	कुल व्यय (द)	**11.00**

SECRETARY

03/04/2000
VICE-CHAIRMAN

COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आय-व्ययक

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रस्तावित	1999-2000 वास्तविक 20-03-2000 तक	2000-2001 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	**राजस्व आय**					
1	स्टाम्प ड्यूटी	3.53	67.38	40.00	0.00	75.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	34.72	42.79	40.00	16.51	40.00
3	मानचित्र शुल्क	5.41	11.70	10.00	10.18	12.00
4	शमन शुल्क	11.52	119.65	100.00	64.25	60.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	4.21	11.49	12.00	9.89	15.00
6	अनुदान प्राप्ति	211.75	41.70	20.00	0.00	10.00
7	विविध(टेण्डर फीस आदि)	6.87	14.07	5.00	5.68	5.00
8	विकास शुल्क	67.41	105.67	100.00	100.17	100.00
9	अम्बार शुल्क	0.00	18.01	15.00	11.62	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क/लीज रैण्ट	0.00	0.00	10.00	22.37	30.00
(अ)	**कुल राजस्व आय**	**345.42**	**432.46**	**352.00**	**240.67**	**362.00**
(ब)	**पूंजीगत आय**					
1	ऋषिलोक योजना	4.98	8.11	5.00	4.29	2.00
2	शिवलोक प्रथम	2.24	5.07	2.00	1.55	2.00
3	शिवलोक द्वितीय	11.29	9.30	7.00	7.88	6.00
4	शिवलोक तृतीय	12.52	15.14	18.00	19.38	5.00
5	हरिलोक	35.68	52.30	100.00	143.40	60.00
6	श्यामलोक	37.64	124.35	75.00	56.32	85.00
7	हुड्कों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.20	0.00	0.00	0.00	200.00
8	आई.डी.एस.एम.टी.	29.38	3.83	6.00	0.00	5.00
9	गायत्री लोक	0.00	0.00	45.00	34.01	75.00
10	अन्य नई योजना	0.00	0.00	10.00	0.21	95.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	0.00	0.00	2.00	0.72	3.00
(ब)	**पूंजीगत आय**	**133.93**	**218.10**	**270.00**	**267.76**	**538.00**
(स)	**कुल आय (अ+ब)**	**479.35**	**650.56**	**622.00**	**508.43**	**900.00**

Scanned by CamScanner

क्र.	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
(य)	**अन्य व्यय**	
1	मास्टर प्लान	5.50
2	विकास व्यय	10.00
3	यातायात प्लान	0.00
4	विकास कार्य (अनुदान)	10.00
5	आवास बन्धु	3.00
(य)	कुल व्यय (य)	**28.50**
(र)	कुल राजस्व व्यय(अ+ब+स+द+य)	**136.90**
	पूंजीगत व्यय	
1	कार/जीप/मशीनरी/भवन	2.00
2	कम्प्यूटर क्रय	4.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	40.00
(अ)	कुल व्यय (अ)	**47.00**
(ब)	**योजना भूमि क्रय**	
1	श्यामलोक	0.00
2	गायत्रीलोक	0.00
3	नई योजना	300.00
(ब)	कुल व्यय (ब)	**300.00**
(स)	**योजना विकास/निर्माण कार्य**	
1	शिवलोक-2	1.00
2	शिवलोक-3	1.00
3	श्यामलोक	20.00
4	हरिलोक	50.00
5	टी0एच0डी0सी0	0.50
6	ऋण वापसी	0.00
7	ऋणों पर देय ब्याज	0.00
8	आई0डी0एस0एम0टी0	10.00
9	रिसर्च/ट्रेनिंग	3.00
10	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	200.00
11	गायत्रीलोक	15.00
12	आश्रय योजना	20.00
13	नई योजना	75.00
(स)	कुल व्यय(स)	**395.50**
(द)	कुल पूंजीगत व्यय (अ+ब+स)	**742.50**
(ल)	कुल व्यय(र+द)	**879.40**
(व)	अन्तिम अवशेष	**20.60**

SECRETARY

03/4/2000

VICE-CHAIRMAN

COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आय–व्ययक

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रस्तावित	1999-2000 वास्तविक 20–03–2000 तक	2000-2001 प्रस्तावित
	राजस्व व्यय					
(अ)	अधिष्ठान					
1	अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते	37.27	57.16	55.00	50.62	65.00
2	यात्रा भत्ता	0.44	1.65	2.50	1.16	2.00
3	दैनिक वेतन	0.19	0.19	0.35	0.28	0.40
4	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	0.33	0.60	1.75	2.98	1.50
(अ)	**कुल व्यय (अ)**	**38.23**	**59.60**	**59.60**	**55.04**	**68.90**
(ब)	कार्यालय विविध व्यय					
1	डाक व्यय	0.14	0.22	0.30	0.25	0.30
2	स्टेशनरी	1.05	1.52	1.50	1.48	1.50
3	कार्यालय भवन अनुरक्षण	1.40	2.98	2.50	2.46	2.50
4	टेलीफोन	4.92	5.47	5.00	3.22	5.00
5	पुस्तकालय	0.09	0.09	0.50	0.07	0.25
6	कानूनी व्यय	1.56	1.41	2.00	1.56	1.00
7	अतिथि सत्कार	0.25	0.43	0.50	0.37	0.50
8	छपाई व्यय	0.68	0.46	1.50	0.78	1.50
9	विज्ञापन	1.13	1.89	2.00	2.01	3.00
10	सम्परीक्षा शुल्क	1.00	0.12	1.50	0.00	1.50
11	विविध	1.51	2.29	2.50	1.39	2.00
12	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
13	मशीनरी अनुरक्षण	0.69	0.93	1.00	0.22	1.00
14	विद्युत अनुरक्षण	0.00	0.25	0.50	0.38	0.50
15	विवेकाधीन	0.15	0.20	0.20	0.08	0.20
16	अस्थाई अग्रिम	0.35	2.78	1.00	0.31	0.50
17	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.49	0.78	1.00	0.37	1.00
(ब)	**कुल व्यय (ब)**	**15.41**	**21.82**	**23.50**	**14.95**	**22.50**
(स)	वाहन					
(I)	अनुरक्षण	1.48	1.31	2.00	1.61	2.00
(II)	पैट्रोल/डीजल	1.87	3.18	3.50	3.72	4.00
(स)	**कुल व्यय (स)**	**3.35**	**4.49**	**5.50**	**5.33**	**6.00**

Scanned by CamScanner

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः-

अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की गयी एवं जो निर्णय लिये गये, उनका विवरण निम्नवत् हैः-

१- **न्यायिक अधिकारियों हेतु अधिग्रहीत भवनों के सम्बन्ध में निर्णयः**

विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की शिवलोक आवासीय योजना-२ स्थित उच्च आय वर्ग श्रेणी के जो ३ भवन जिलाधिकारी-हरिद्वार द्वारा अधिग्रहीत कर न्यायिक अधिकारियों को आवास हेतु आवंटित किये गये हैं, उनके संबंध में शासन से पत्राचार किया जाये तथा यथाशीघ्र इन सम्पत्तियों के वापस प्राधिकरण को प्राप्त होने पर उनका नियमानुसार विक्रय कर दिया जाये।

२- **विभिन्न योजनाओं की सम्पत्तियों से आयः**

योजनावार सम्पत्तियों के विक्रय पर चर्चा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि माह मई के अन्त तक हरिलोक व श्यामलोक आवासीय योजनाओं में जो सम्पत्तियां विक्रय हेतु अवशेष हैं उनका निस्तारण कर दिया जाये।

अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि योजनावार उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या/मूल्य, आवंटित सम्पत्तियों की संख्या तथा अवशेष सम्पत्तियों की संख्या एवं उनका मूल्य प्रदर्शित करते हुये एक संहत विवरण पत्र बनाकर उन्हें शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाये।

३- **कुम्भ मेला-१९९८ में प्राधिकरण द्वारा स्थापित हाई-मास्ट लाइटों की व्यवस्थाः**

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि कुम्भ मेले में प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार में जो ८ हाई-मास्ट लाइटें लगायी गयी थीं, उनका हस्तांतरण अभी तक नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को नहीं हो सका है। इस संबंध में चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः-

(क) हरिद्वार स्थित सभी हाई मास्ट लाइटें नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को तत्काल हस्तगत करा दी जायें।

(ख) हरिद्वार तथा ऋषिकेश स्थित हाई मास्ट लाइटों का रख-रखाव संबंधित नगरपालिका परिषद द्वारा किया जायेगा।

Secretary — Vice Chairman 03/04/2000 — Chairman/Commissioner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आय-व्ययक

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रस्तावित	1999-2000 वास्तविक 20-03-2000 तक	2000-2001 प्रस्तावित
(द)	कर्मचारी अग्रिम					
(I)	वाहन	1.00	0.99	1.00	0.29	1.00
(II)	भवन/भूखण्ड	0.00	2.68	5.00	2.12	10.00
(द)	कुल व्यय (द)	**1.00**	**3.67**	**6.00**	**2.41**	**11.00**
(य)	अन्य व्यय					
1	मास्टर प्लान	0.50	0.00	0.50	0.18	5.50
2	विकास व्यय	20.81	48.35	75.00	4.05	10.00
3	यातायात प्लान	3.41	0.75	0.00	0.00	0.00
4	विकास कार्य (अनुदान)	109.24	103.40	0.00	17.57	10.00
5	आवास बन्धु	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
(य)	कुल व्यय (य)	**133.96**	**152.50**	**78.50**	**24.80**	**28.50**
(र)	कुल राजस्व व्यय(अ+ब+स+द+य)	**191.95**	**242.08**	**173.10**	**102.53**	**136.90**
	पूंजीगत व्यय					
1	कार/जीप/मशीनरी/भवन	5.38	5.95	5.00	4.49	2.00
2	कम्प्यूटर क्रय	3.10	0.75	4.00	0.65	4.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.47	1.86	2.00	0.64	1.00
4	अभियान्त्रिकी स्टोर	36.84	16.72	30.00	34.24	40.00
(अ)	कुल व्यय (अ)	**46.79**	**25.28**	**41.00**	**40.02**	**47.00**
(ब)	योजना भूमि क्रय					
1	श्यामलोक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	गायत्रीलोक	0.00	145.31	29.78	29.78	0.00
3	नई योजना	0.00	0.00	170.22	0.00	300.00
(ब)	कुल व्यय (ब)	0.00	145.31	200.00		

Scanned by CamScanner

(९१)

(ग) हरिद्वार तथा ऋषिश में प्राधिकरण द्वारा स्थापित हाई मास्ट लाइटों के २ वर्षों (दिनांक ३१.३.२००० तक) के विद्युत बिलों का भुगतान इन्फास्ट्रक्चर मद से प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(घ) विद्युत संयोजन के लिये आवेदन संबंधित नगरपालिका परिषद द्वारा ही किया जायेगा।

नयी आवासीय योजनायें:

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा नव स्थापित कलेक्ट्रेट के आस-पास लगभग ४०० एकड़ भूमि में एक मिनी-टाउनशिप विकसित की जाये। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि हरिलोक आवासीय योजना भाग-२ की भूमि के प्रस्ताव के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से यदि बी०एच०ई०एल० द्वारा कुछ भूमि जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाती है तो उसमें से हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पक्ष में रिजम्पशन किया जा सकता है। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव इत्यादि शासन को भिजवाया जाये।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डा:

इस योजना की प्रगति के संबंध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित बस अड्डा ऋषिकुल में प्रस्तावित है तथा इसमें भूमि के संबंध में कुछ विवाद हे। यह निर्णय लिया गया कि सन्दर्भित भूमि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के विकास/निर्माण के लिये प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में शासन से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये। यह भी आवश्यक समझा गया कि जहां बस अड्डा प्रस्तावित है उसके ठीक सामने गंग नहर पर एक पुल बनाने की आवश्यकता भी होगी, अतः यह निर्णय लिया गया कि संबंधित उप समिति में प्राधिकरण की सदस्या श्रीमती ऊषा भारद्वाज के साथ-साथ सिचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को भी सदस्य नामित किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का प्रोजेक्ट आगामी एक सप्ताह में तैयार करा लिया जाय तथा इसे अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त अग्रिम कार्यवाही के लिये भेजा जाये।

ट्रांसपोर्ट नगर:

संबंधित उपसमिति से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपनी आख्या ७ अप्रैल २००० तक स्थल चयन करके अवश्य प्रेषित कर दे। यह भी निर्देश दिये गये कि इस समिति में श्रीमती ऊषा भारद्वाज-सदस्या, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भी आमंत्रित किया जाये तथा समिति द्वारा ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करके आवश्यक औपचारिकतायें भी पूर्ण कर ली जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि इसमें भूमि का क्रय/अधिग्रहण निहित है, अतः संबंधित परगनाधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे।

Secretary

03/04/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आय-व्ययक

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रस्तावित	1999-2000 वास्तविक 20-03-2000 तक	2000-2001 प्रस्तावित
(स)	योजना विकास/निर्माण कार्य					
1	शिवलोक-2	0.94	0.85	1.00	0.79	1.00
2	शिवलोक-3	21.28	7.07	10.00	4.74	1.00
3	श्यामलोक	18.26	27.02	40.00	12.95	20.00
4	हरिलोक	29.18	38.35	60.00	35.34	50.00
5	टी0एच0डी0सी0	1.13	0.70	1.00	0.47	0.50
6	ऋण वापसी	8.23	11.85	50.00	25.39	0.00
7	ऋणों पर देय ब्याज	8.68	3.40	9.00	7.34	0.00
8	आई0डी0एस0एम0टी0	41.43	38.83	50.00	16.50	10.00
9	रिसर्च/ट्रेनिंग	3.33	0.19	7.50	2.91	3.00
10	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	0.00	0.00	200.00	104.09	200.00
11	गायत्रीलोक	0.00	33.24	20.00	7.51	15.00
12	आश्रय योजना	0.00	0.00	15.00	6.50	20.00
13	नई योजना	0.00	0.00	10.00	0.00	75.00
(स)	कुल व्यय(स)	132.46	161.50	473.50	224.53	395.50
(द)	कुल पूंजीगत व्यय (अ+ब+स)	179.25	332.09	714.50	294.33	742.50
(ल)	कुल व्यय(र+द)	371.20	574.17	887.60	396.86	879.40
(व)	अन्तिम अवशेष	108.15	76.39	-265.60	111.57	20.60

Scanned by CamScanner

हर की पैड़ी पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु एलीवेटर लगाने की योजनाः

प्राधिकरण को इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ है कि हर की पैड़ी पर जीरो-जोन के प्राविधानों को पूर्णतः लागू करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हिल-बाईपास से हर की पैड़ी को जोड़ने के लिये पार्किंग की व्यवस्था हिल-बाईपास पर करते हुये एक एलीवेटर लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जाये, ताकि वाहनों की पार्किंग हर की पैड़ी से दूर हो सके एवं वी०आई०पी० तथा यात्री सुगमता से लिफ्ट का प्रयोग करके हर की पैड़ी पहुंच सकें। इस योजना के कियान्वयन से हर की पैड़ी को पूर्णतः जीरो-जोन बनाया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह योजना शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाये तथा इसका अनुमोदन अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से प्राप्त कर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। इस योजना हेतु धन की व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर मद से की जायेगी।

हर की पैड़ी का विस्तारः

कुम्भ मेला-१९९८ में हर की पैड़ी के विस्तार की एक योजना बनायी गयी थी, जिसका कियान्वयन समयाभाव के कारण सम्भव नहीं था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग से इसका प्रस्ताव/प्रोजेक्ट तैयार कराकर नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन से धन आवंटन हेतु अनुरोध किया जाये। इस योजना का कियान्वयन सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा।

८- हरिद्वार-रूड़की मार्ग पर विकास गतिविधियों को नियन्त्रित किया जानाः

प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि रूड़की-हरिद्वार मार्ग कुम्भ तथा अर्द्ध कुम्भ मेलों के समय प्रयोग किया जाता है तथा इस पर होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है अतः यह उचित होगा कि हरिद्वार-रूड़की मार्ग के दोनों ओर ३०० मीटर का क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस आशय का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा तैयार कराकर शासन को भेजा जाये।

१०- बहुउद्देशीय हाल का निर्माणः

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि इस कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित हो चुकी हैं तथा यह कार्य उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से रू० ५२.०० लाख में कराया जाना प्रस्तावित है। यह भी बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु निगम के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है। कार्य हेतु अवस्थापना विकास निधि से रू० १०.०० लाख आवंटित किये जा चुके हैं तथा विधायक निधि से रू० ७.५० लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यह कार्य दिनांक

Secretary 03/04/2000 Vice Chairman Chairman/Commissione

Scanned by CamScanner

(93)

७.४.२००० से अवश्य प्रारम्भ करा दिया जाये तथा तथा साथ-साथ पूर्व निर्णयानुसार अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रयास किये जायें। यदि इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर मद से कर दी जायेगी।

११- **हर की पैड़ी पर मल्टी-स्टोरीड पार्किंगः**

जिलाधिकारी-हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया कि हर की पैड़ी पर मल्टी-स्टोरीड पार्किंग की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस आशय का प्रस्ताव/प्रोजेक्ट तैयार कराकर उनके समक्ष रखा जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यदि प्रस्तावित पार्किंग गंगा नदी से २०० मीटर की दूरी के अन्दर है तो इस के लिये सर्वप्रथम शासन स्तर से प्रतिबन्ध में छूट दिये जाने हेतु आवेदन भी किया जाये।

१२- **गंगा नदी से २०० मीटर के क्षेत्र में शमन की अनुमतिः**

प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि गंगा नदी से २०० मीटर दूरी के अन्दर जो मानचित्र पहले से स्वीकृत हैं तथा उनमें निर्माण के बाद स्वीकृत मानचित्र से कतिपय भिन्न निर्माण कर लिया गया है एवं उसके शमन हेतु आवेदन किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत होने के कारण शमन की अनुमति प्रदान कर दी जाये। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में शमन की अनुमति प्रदान कर दी जाये। पहले ऐसे मामले कितने हैं उनको ह० ज्ञात कर ली जाय तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त की अनुमति से शमन किया जाये।

१३- अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा श्री मंगल सिंह पुत्र देवी सिंह, खन्ना नगर का एक प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष रखा गया जो कि धारा २७/२८ के अन्तर्गत वाद संख्या-३१/६२-६३ में की गयी कार्यवाही से संबंधित है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित पक्षकार द्वारा शमन की धनराशि जमा की जा चुकी है, अतः इस प्रकरण में संबंधित पक्षकार पर आरोपित ब्याज में छूट दे दी जाये। विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण विशेष में अपवाद के रूप में शमन पर आरोपित ब्याज की धनराशि में छूट प्रदान कर दी जाये, परन्तु भविष्य में इसको नजीर के रूप में न माना जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Secretary

03/04/2000
Vice Chairman

3/4
Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner